



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 556]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 651 (अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 239.000 कि.मी. से 282.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था ;

और यतः, प्राधिकरण ने, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के रायपुर-औरंग सेक्शन के 239.000 कि.मी. से 281.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 238.535 किमी से 282.000 किमी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) तक विद्यमान 2 लेन की सड़क के सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण, पुनःस्थापन तथा सुदृढीकरण और 4 लेन के विभाजित राजमार्ग में चौड़ीकरण हेतु 09.03.2004 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए मैसर्स रायपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-66, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 13.10.2005 को एक करार किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण), नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रव्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 6 के 239.000 कि.मी. से शुरु होने वाले तथा 281.000 कि.मी. तक के खण्ड (डिजाइन चैनेज 238.535 किमी से 282.000 किमी) के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, उक्त शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

अनुसूची

रियायतग्राही उक्त खण्ड के उपयोग के लिए निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क का संग्रहण एवं प्रतिधारण करेगा :—

सारणी

क्रम संख्या	वाहनों की श्रेणी	प्रति वाहन प्रति एक चक्कर के लिए आधार दर पर शुल्क (रुपए प्रति किमी में)
(1)	(2)	(3)
1	कार, यात्री वाहन अथवा जीप	0.40
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी)	0.70
3	ट्रक	1.40
4	बस	1.40
5	बहुधुरीय वाहन (2 धुरी से अधिक)	2.25

शुल्क का संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर किया जाएगा : —

क्रम संख्या	टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	चैनेज 242.800 पर (विद्यमान चैनेज 243.265) (रायपुर जिले में गांव लखोली के पास)	21.7325
2	चैनेज 276.135 पर (विद्यमान चैनेज 276.600) (रायपुर जिले में गांव सुन्दर नगर के पास)	21.7325

टिप्पणियां:—

- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —
 - “वास्तविक शुल्क” से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित तथा निम्नलिखित के आधार पर परिकल्पित उक्त खण्ड के सड़क प्रयोक्ताओं से प्रभारित शुल्क है
 - राजमार्ग परियोजना की लम्बाई, और
 - विधिवत् सूचीबद्ध उपर्युक्त सारणी में दिया गया आधार शुल्क ;
 - “वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख” का अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को उक्त खण्ड का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होता है और यह वह तारीख होगी जिस तारीख को स्वतंत्र परामर्षदाता प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार के प्रावधानों के अनुसार उक्त खण्ड को चार लेन का बनाने का काम पूरा हो जाने पर, समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करता है ;
 - “स्थानीय निजी यातायात” का अभिप्राय है और इसमें शामिल है ऐसा निजी वाहन जो रियायतग्राही के पास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया हो जो सामान्यतया उस स्थान पर रहता हो या कार्य करता हो और वहाँ पहुँचने के लिए उसे उक्त खण्ड के किसी भाग का प्रयोग करना पड़ता है; और इसलिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा उक्त खण्ड के किसी भाग पर आने-जाने के लिए ऐसे वाहनों का प्रयोग करना अपेक्षित होता है जिसके लिए उसे उसके कार्य के स्थान अथवा निवास स्थान पर आने जाने के लिए सामान्यतया एक से अधिक टोल प्लाजा को पार नहीं करना पड़ता ;
 - “स्थानीय वाणिज्यिक यातायात” का अभिप्राय ऐसे किसी वाणिज्यिक वाहन से है, जिसमें बसें, ट्रक, हल्के मोटर वाहन अथवा टैक्सियां शामिल हैं, जो एक से अधिक टोल प्लाजाओं को पार किए बिना उक्त खण्ड पर सामान्यतया चल रहा हो और माल-सामान तथा यात्रियों को लाने-लेजाने के कार्य में लगा हो ;
 - “समापन तिथि” का अभिप्राय उस तिथि से है जिस तिथि को प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के प्रावधानों के अनुसरण में समाप्त होता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया जाता है ;
 - इस अधिसूचना में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिन्हें उक्त खण्ड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ वहीं होंगे जो उन्हें क्रमशः उक्त करार में दिए गए हैं।

2. बहुधुरीय वाहन में अर्थ मूविंग उपस्कर तथा भारी संनिर्माण मशीनरी शामिल है।
3. शुल्क की दर तथा प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रभावी उसके संशोधन की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :-

$$\text{आधार शुल्क} \times \frac{\text{डब्ल्यूपीआइ-बी}}{\text{डब्ल्यूपीआइ-ए}}$$

जहाँ

- डब्ल्यूपीआइ-ए = 31 मार्च, 1997 को थोक मूल्य सूचकांक है।
- डब्ल्यूपीआइ-बी = पुल्क में संशोधन की तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को थोक मूल्य सूचकांक है।

प्रभारित किए जाने वाले शुल्क को निकटतम पाँच रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

4. निम्नलिखित वाहनों के संबंध में कोई शुल्क संदेय नहीं होगा अथवा संग्रहीत नहीं किया जाएगा, अर्थात्:
 - (क) रक्षा वाहन;
 - (ख) पुलिस वाहन;
 - (ग) अग्निशमन वाहन;
 - (घ) एम्बुलेन्स;
 - (ङ.) शवयात्रा वाहन;
 - (च) डाक व तार विभाग के वाहन;
 - (छ) ड्यूटी पर लगे हुए केन्द्रीय और राज्य सरकार के वाहन;
 - (ज) "अतिविषिष्ट व्यक्ति (वीआइपी)" प्रतीक चिह्न लगे वाहन अथवा निम्नलिखित से संबंधित वाहन -
 - (i) भारत का राष्ट्रपति;
 - (ii) भारत का उप-राष्ट्रपति;
 - (iii) राज्य का राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र का उप-राज्यपाल;
 - (iv) भारत के राजकीय दौरे पर आया कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति, और
 - (v) भारत में स्थित विदेशी गणमान्य व्यक्ति जो 'सीडी' / 'सीसी' प्रतीकों (सिम्बल) वाली कारों का उपयोग कर रहा हो;
 - (vi) राज्य सभा का सभापति, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् का सभापति अथवा राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, संघ या राज्य का मंत्री, लोक सभा या राज्य सभा, राज्य विधानमंडलों में विपक्ष का नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, यदि वह वाहन में सवार हो;
 - (vii) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, संबंधित राज्य में राज्य विधान सभा का सदस्य, राज्य विधान परिषद् का सदस्य, यदि वह संसद अथवा राज्य के संबंधित विधानमंडल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी किया गया अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करे ;
 - (viii) परम वीर चक्र, अषोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, जैसे शौर्य पुरस्कार विजेताओं से संबंधित वाहन, यदि ऐसा पुरस्कार विजेता, ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित, अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करे ;
5. शुल्क की दर, शुल्क के भुगतान से मुक्त वाहनों की श्रेणियां और जिस रियायतग्राही को षिकायतें, यदि कोई हों, भेजी जानी चाहिए उसका नाम, पता और टेलिफोन नम्बर टोलबूथ से 500 मीटर पहले, टोलबूथ से 100 मीटर पहले तथा टोल बूथ पर भी स्पष्ट तथा प्रमुख रूप से दर्शाया जाना चाहिए, प्रदर्शन बोर्ड (डिस्प्ले बोर्ड) की ऊंचाई तथा अक्षरों का साइज ऐसा होना चाहिए कि ड्राइवर लोग प्रदर्शन बोर्ड को आसानी से पढ़ सकें।
6. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात तथा स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित कटौतीकृत दरों से अधिक दर पर शुल्क संग्रहीत नहीं करेगा, अर्थात् :-
 - (क) स्थानीय निजी यातायात : विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क का पच्चीस प्रतिशत;
 - (ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क का पचास प्रतिशत;

7. रियायतग्राही इस अधिसूचना की विषय-वस्तु को दो स्थानीय समाचार-पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा का समाचार-पत्र होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम-से-कम दस दिन पहले वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार, संशोधित शुल्क को प्रभावी बनाने से 10 दिन पहले भी इस विषय-वस्तु को दोहराया जाएगा।

8. प्रयोक्ताओं से लिया जाने वाला वास्तविक शुल्क रियायतग्राही द्वारा परिकलित किया जाएगा और हर वर्ष 31 मार्च के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, किन्तु दर में वृद्धि के प्रभावी होने से कम-से-कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को वैधीकरण के लिए भेजा जाएगा ताकि प्राधिकरण उक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि में कोई टिप्पणियां दे सके अथवा स्पष्टीकरण मांग सके। यदि प्राधिकरण इस अवधि में कोई टिप्पणियां नहीं करता अथवा स्पष्टीकरण नहीं मांगता तो यह मान लिया जाएगा कि रियायतग्राही द्वारा यथा-प्रस्तावित संशोधित शुल्क की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई है।

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11019/3/2003/(रायपुर-औरंग सेक्शन)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S. O. 651(E).—Whereas, the Central Government by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1097(E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from km 239.000 to km 282.000 of National Highway No. 6 in the State of Chhattisgarh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

AND, WHEREAS, the Authority has entered into an agreement on 13.10.2005 with M/s Raipur Expressway Ltd. having its registered office at C-66, South Extension Part-II, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as the Concessionaire), for the bids submitted on 09.03.2004, for the Improvement, Operation and Maintenance, Rehabilitation and Strengthening of existing 2-lane road and widening to 4 lane divided highway from Km 239.000 to Km 281.000 (design chainage from Km 238.535 to Km 282.000) (hereafter referred to as the ‘said section’) of the Raipur- Aurang section of the National Highway No. 6 on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/ permanent bridge/ temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section starting from Km 239.000 to Km 281.000 (Design Chainage from Km.238.535 to Km.282.000) of the National Highways No. 6 in the State of Chhattisgarh at the rates specified in the Schedule below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement, namely:

SCHEDULE

The concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the following table, for use of the said section, at the base rate specified in column (3) of the said table:-

TABLE

S. No.	Category of Vehicle	Fee at the base rate per vehicle per one way trip (in rupees per km.)
(1)	(2)	(3)
1	A Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck	1.40
4	Bus	1.40
5	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

The fee shall be collected at following Toll Plazas:-

S. No.	Location of Toll Plaza(s) (design chainage)	Length (in km) for which fee is payable
1	At chainage 242.800 (existing chainage 243.265) (near village Lakholi in District Raipur)	21.7325
2	At chainage 276.135 (existing chainage 276.600) (near village Sundar Nagar in District Raipur)	21.7325

Notes:-

1. For the purpose of this notification-
 - (i) "Actual Fees" means the fees actually charged from the road users of the said section as approved by the Authority calculated on the basis of
 - (a) length of the project highway, and
 - (b) base fee given in the above Table duly indexed;
 - (ii) "Date of Commercial Operation" means the date on which the commercial operation of the said section starts, which shall be the date on which the Independent Consultant issues the Completion Certification or the Provisional Certificate, as the case may be, upon completion of four laning of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
 - (iii) "Local Personal Traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire, by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section, without crossing more than one of the toll plazas; in the course of normal travel to and from his place of work or residence;
 - (iv) "Local Commercial Traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one of the Toll Plazas;
 - (v) "Termination Date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
 - (vi) Words and expressions used in this notification but not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meanings as assigned to them respectively in the said agreement.
2. Multi Axle Vehicle includes earth-moving equipments and heavy construction machinery.
3. The rate of fee and the revision thereof effective from 1st July every year shall be calculated as follows:-

$$\text{Base Fee X } \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on March, 31, 1997.
- WPI-B = is the Wholesale Price Index on March 31 preceding the fee- revision date.

The actual fees to be charged shall be rounded off to nearest five rupees.

4. No fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles, namely: -
 - (a) Defense vehicles;
 - (b) Police vehicles;
 - (c) Fire fighting vehicles;
 - (d) Ambulances;
 - (e) Funeral vans;
 - (f) Post and Telegraph Department's vehicles;
 - (g) Central and State Government vehicles on duty;
 - (h) Vehicles having "VIP" symbols or officially belonging to —
 - (i) President of India;
 - (ii) Vice-President of India;

- (iii) Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory
- (iv) A Foreign dignitary on State visit to India, and
- (v) A Foreign Diplomat stationed in India using cars with “CD”/ “CC” symbols
- (vi) Chairman of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly, a Minister for the Union or State, Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha, State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
- (vii) Members of Parliament in the entire country , a Member of Legislative Assembly of a State , a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his Identity Card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State as the case may be;
- (viii) Vehicles belonging to Winners of Gallantry Awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award.

5. The rates of fees, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the drivers can easily read the display boards.

6. The Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely:-

- (a) Local Personal Traffic: Twenty Five per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle;
- (b) Local Commercial Traffic: Fifty per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle.

7. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation. Such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

8. The actual fees to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarification during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/BOT/ 11019/ 3/ 2003/ (Raipur-Aurang Section)]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.